

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-309/2012/अलवर
अपील संख्या-310/2012/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,अलवर

..अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एल्फा सर्विसेज
भिवाडी,अलवर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.06.2017

निर्णय

ये दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 143व 144/सीएसटी/2010-11/उपा./अपील्स/अलवर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 06.09.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 16.09.2010 को किया गया। सर्वेक्षण के दौरान जांच पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान स्वयं द्वारा निर्मित मशीनरी एवं इसके पार्ट्स व एसेसरीज (केपिटल गुड्स) की बिना सी फार्म पर की गई अन्तर्राज्यीय बिक्री रु. 82,62,085/- एवं रु. 1,12,60,400/- पर दिनांक 08.03.2010 तक 4 प्रतिशत एवं इसके पश्चात 5 प्रतिशत की दर से कर संग्रहित कर राजकोष में जमा कराया है। जबकि सशक्त अधिकारी ने माना कि केपिटल गुड्स की अन्तर्राज्यीय बिक्री बिना सी फार्म पर दिनांक 01.04.2009 से 07.07.2009 तक की अवधि में 12.5 प्रतिशत एवं दिनांक 08.07.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि में 14 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराना था। इसलिए सशक्त अधिकारी ने माना कि अन्तर्राज्यीय बिक्री पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रु. 8,25,894/- एवं रु.10,13,436/-केन्द्रीय कर कम वसूल कर राजकोष में जमा कराकर उक्त राशि का अपवंचन/परिवर्जन किया गया है इसलिए सशक्त अधिकारी ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 सपटित अधिनियम की धारा 25,55 एवं 61 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.11.2010 को पारित कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया। उक्त

प्रकार से आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।


राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा केपिटल गुड्स की अन्तर्राज्यीय बिक्री बिना सी फार्म पर दिनांक 01.04.2009 से 07.07.2009 तक की अवधि में 12.5 प्रतिशत एवं दिनांक 08.07.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि में 14 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराना था। इसलिए सशक्त अधिकारी ने माना कि अन्तर्राज्यीय बिक्री पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रु. 8,25,894/- एवं रु.10,13,436/-केन्द्रीय कर कम वसूल कर राजकोष में जमा कराकर उक्त राशि का अपवंचन किया गया है, इसलिए सशक्त अधिकारी द्वारा उचित रूप से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियों का आरोपण किया गया। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है, जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।


अपील सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान स्वयं द्वारा निर्मित मशीनरी एवं इसके पार्ट्स व एसेसरीज (केपिटल गुड्स) की बिना सी फार्म पर की गई अन्तर्राज्यीय बिक्री रु. 82,62,085/- एवं रु. 1,12,60,400/- पर दिनांक 08.03.2010 तक 4 प्रतिशत एवं इसके पश्चात 5 प्रतिशत की दर से कर संग्रहित कर राजकोष में जमा कराया है, जिससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा करापवंचन नहीं किया है और समस्त माल का अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज किया है इसलिए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा सी फार्म के अभाव में पूर्ण कर दर 4 व 5 प्रतिशत मानते हुए कर वसूल कर राजकोष में जमा कराते हुए उक्त बिक्री के सम्बन्ध में रिटर्न पेश किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों यथा वस्तु की प्रकृति, वस्तु का

मूल्य, कर की दर वसूल किया गया कर आदि स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए रिटर्न विभाग में पेश किये गये है तथा अन्तर कर भी जमा कर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टांत (2009) 11 वेट रिपोर्टर 159 के प्रकाश में तथ्यों के नहीं छुपाने या **deliberately** गलत तथ्य अंकित करना नहीं होने से अधिनियम की धारा 61 में शास्ति आरोपित करना न्यायसंगत नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत में आरोपित शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। फलतः शास्ति के बिन्दु पर विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष